न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 184/2018 **दायर दिनांकः 09/10/2018**

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी छजावा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाक :05/12/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादी के खाते एवं कब्जे की ग्राम छजावा तहसील अटरू के माल में खाता संख्या 257 के खसरा नं0 330/1143, 444, 726, 969/460 की कुल 4 किता 1.45 है0 भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता रामनाथ के फौती इन्तकाल खोलते समय प्रार्थी का नाम खाते में जगदीश प्रसाद के स्थान पर रामप्रसाद दर्ज हो गया उक्त दोनो नाम वादी के ही है। वादी का राशन कार्ड परिचय पत्र आधार कार्ड एवं सर्विस मैं मार्कशीट मैं जगदीश प्रसाद नाम से जाना जाता है। वादी के सभी रिकार्ड में जगदीश प्रसाद नाम दर्ज होने से खेती के सभी कार्यो में कई समस्याओं का सामना परना पड रहा है। वादी अब तक राजकीय सेवा मै था। एवं खाता शामलाती था अब वादी का खाता अलग दर्ज हो गया है। अब वादी स्वयं उक्त भूमि में काश्त करने लग गया इसलिये वादी को उक्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के0सी0सी0 बनाने मै कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इसलिये वादी उक्त नाम को रामप्रसाद के स्थान पर जगदीश प्रसाद दर्ज करवाना चाहता है। उक्त भूमि ग्राम छजावा तहसील अटरू में स्थित है। जिसका क्षैत्राधिकारी श्रवण का अधिकार श्रीमान के पास है। अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेगे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम छजावा तहसील अटरू के खाता सं0 257 की 4 किता की 1.45 है0 भूमि में वादी का नाम रामप्रसाद स्थान पर जगदीश प्रसाद दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 के बयान लेखबद्ध किये, तथा रिकार्ड EXP करवाये गये, तहसीलदार अटरू से रिपोर्ट ली गई, जिसमें कथन किया गया कि राजस्व रिपोर्ट अनुसार रामप्रसाद पुत्र रामनाथ जाति मीणा का नाम फोती इन्तकाल के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया है परन्तु आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व ग्राम पंचायत ढोटी में सरपंच के दस्तावेज के अनुसार जगदीश प्रसाद पुत्र रामनाथ मीणा है यह दौनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा, निवेदन किया गया कि ग्राम छजावा की खाता संख्या 257 की किता 4 रकबा 1.45 है0 में वादी का नाम रामप्रसाद के स्थान पर जगदीश प्रसाद दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, वाद में प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम छजावा की खाता संख्या 257 की किता 4 रकबा 1.45 है0 में वादी का नाम रामप्रसाद है, राशनकार्ड 31.05.2005 भारत निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, उपखण्ड मजिस्ट्रेट छबड़ा प्रमाण पत्र 04.08.1983 शिक्षा प्रमाण पत्र 1992, सेकण्ड्री शिक्षा बोर्ड 1982 आदि में भी जगदीश प्रसाद नाम दर्ज है। PW_1 में बताया गया कि मेरा नाम जगदीश है, मुझे बचपन में प्यार से रामप्रसाद भी कहते थे, मेरा नाम ग्राम छजावा की खाता संख्या 257 में रामप्रसाद के स्थान पर जगदीश प्रसाद दर्ज किया जावें। रिपोर्ट तहसीलदार अटरू में भी रामप्रसाद पुत्र रामनाथ व जगदीश प्रसाद पुत्र रामनाथ दौनो एक ही व्यक्ति होना बताया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

<u>—ःक्रियात्मक आदेशः—</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल छजावा की खाता संख्या 257 किता 4 रकबा 1.45 है0, में वादी का नाम रामप्रसाद के स्थान पर जगदीश प्रसाद किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 184/2018

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी छजावा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X.............................

बहाजिर :—

वादीगण:— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादी:— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल छजावा की खाता संख्या 257 किता 4 रकबा 1.45 है0, में वादी का नाम रामप्रसाद के स्थान पर जगदीश प्रसाद किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे,

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ...... X.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.................. .... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 05.12.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.02.05 16:45:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: